न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 24/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मोहनलाल पुत्र वगताजी जाति वागरी उम्र 60 वर्ष, निवासी भागल भीम तहसील भीनमाल जिला जालोर।		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05.08.2019

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2016 बउनवान मोहनलाल बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा भागल भीम के खसरा नंबर 243 रकबा 0.55 हैक्टर एवं खसरा नंबर 244 रकबा 0.96 हैक्टर की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। खसरा नंबर 152 मीन के खसरा नंबर 243 रकबा 0.55 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 244 रकबा 0.96 हैक्टर कायम किये गये, जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। पूर्व खसरा नंबर 152 की भूमि के किसी हिस्से का गोचर के रूप में उपयोग उपभोग नहीं हुआ है। परम्परा से इस भूमि में वागरी जाति के व्यक्ति मतीरा, चीबडा आदि की काश्त कर अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे है इस कारण इस भूमि को काछा भूमि के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्शाया गया है जिसका उल्लेख खसरा परितर्वशील संवत 2027 में स्पष्ट तौर पर किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी पर समय–समय पर बाजरी आदि भी बोई गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। अपीलांट एवं उसके पिता को आदिनांक तक वादग्रस्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। तथा अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त बिना किसी रोकटोक के रेस्पोडेन्टगण एवं जनसामान्य के ज्ञान से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में रेस्पोडेन्ट के जवाब को कोई उल्लेख नहीं हुआ है एवं न ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को उल्लेख किया है। वादग्रस्त आराजी आगोर अथवा गोचर रेकर्ड में दर्ज होने मात्र से आगोर एवं गोचर नहीं माना जा सकता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर आज भी मौके पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन मुख्य बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति पर कोई गौर नहीं किया गया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट एव उसके पिता को कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी कब्जे काश्त की मालिकाना भूमि नहीं है। जिससे उसके कब्जे काश्त तथा उपयोग उपभोग में दखल देने या बेदखल करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। वादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। जिसके कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा भागल भीम के खसरा नंबर 243 रकबा 0.55 हैक्टर एवं खसरा नंबर 244 रकबा 0.96 हैक्टर की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन आगोर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त किस्म की भूमि के कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2016 बउनवान मोहनलाल बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.12.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली